**न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा।**

**नियमित जमानत आवेदन संख्या 362/2026**

**गौतम कुमार उर्फ गौतम मांझी बनाम बिहार सरकार**

**सरमेरा थाना कांड सं0 195/2020**
**अंतर्गत धारा 302/34 I.P.C**

**02.04.2026**

दिनांक 19.01.2026 से कारावासित अभियुक्त **01. गौतम कुमार उर्फ गौतम मांझी** की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजय कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है तथा इन्हें इस वाद में झूठे व गलत आधार पर फंसा दिया गया है । आवेदक द्वारा इस न्यायालय या वरीय न्यायालय में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत याचिका दाखिल नहीं किया गया है। उक्त धाराओं का अभियोग आवेदक के विरूद्ध बनता प्रतीत नहीं होता है । उनका यह भी कथन है कि इस वाद कार्यवाही साक्ष्य पर आधारित है और PW2, PW3 और PW4 को विरोधी घोषित कर दिया गया है। सूचक भी इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। इस वाद के अन्य तीन–सह अभियुक्तों को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध किसी तरह का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है तथा लगाए गए आरोप सामान्य व बहुप्रयोज्य है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक स्वयं आत्मसमर्पण कर दिनांक 19.01.2026 से न्यायिक हिरासत में है। अतः आवेदक को जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 28.07.2020 को समय करीब 05:00 बजे शाम में सूचक के पिता राम विलास पासवान अपने खेत देखने निकले। तब पता चला कि उनके खेत के फसल धान गांव के ही रामप्रसाद मांझी ने खेत में लगे फसल को बकरी से चरा दिया। जब यह पूछने वह उनके घर गए तो रामप्रसाद मांझी, चंदु मांझी, सोनू मांझी एवं गौतम मांझी ने मिलकर सूचक के पिताजी को गाली–गलौज किया तथा मारपीट किया। चारों ने मिलकर लोहे के रड एवं ईट, पत्थर से मारा। फिर सूचक एवं उनके समाज के लोग दौड़े तब देखा कि वह बेहोश पड़े है। जिसे सब ने मिलकर हॉस्पीटल में भर्ती कराया और ईलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक के विरूद्ध लगाए गए आरोप सामान्य व सर्वव्यापी प्रकृति के हैं, तथा प्राथमिकी में वर्णित घटना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित केवल एक चोट से मेल नहीं खाती है। मुख्य रूप से, समानता (Parity) के आधार पर आवेदक जमानत का हकदार है, क्योंकि सामान भूमिका

**<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा</u>।**

**नियमित जमानत आवेदन संख्या 362 / 2026**

**गौतम कुमार उर्फ गौतम मांझी बनाम बिहार सरकार**

**सरमेरा थाना कांड सं0 195 / 2020**

**अंतर्गत धारा 302/34 I.P.C**

**<u>लगातार</u>**

**02.04.2026**

वाले अन्य सह–अभियुक्तों को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पूर्व में ही नियमित जमानत का लाभ प्रदान किया जा चुका है। आवेदक का मामला भी समान स्तर का है। आवेदक स्वयं आत्मसमर्पण कर दिनांक 19.01.2026 से न्यायिक हिरासत में है तथा आरोप दाखिल किया जा चुका है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों तथा विशेष रूप से समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आवेदक **गौतम कुमार उर्फ गौतम मांझी** को 10,000 / –रु0 के जमानत तथा उसी राशि के समतुल्य वाले दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत संबंधित विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत का लाभ प्रदान किया जाता है ।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष–न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।